

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उल्लेखोंपी० (एस०) सं०-५२१ वर्ष २०१७

सिस्टर सुषमा उर्फ सिस्टर क्रेसेंटिया खेस, पुत्री-मथीआस खेस, वर्तमान में उर्सुलिन कॉन्वेंट गल्स हाई स्कूल, खुंटी, डाकघर, थाना एवं जिला-खुंटी में रहते हैं।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-राँची के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-राँची।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी, डाकघर, थाना एवं जिला-खुंटी।
4. सचिव, उर्सुलिन कॉन्वेंट गल्स हाई स्कूल, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना-खुंटी, जिला-खुंटी में है।

..... उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :-

मेसर्स अभय कुमार मिश्रा एवं भोला नाथ ओझा,
अधिवक्तागण

उत्तरदातागण के लिए:-

श्री सुनील सिंह, एस०सी० (खान) के जे०सी०

०२ / दिनांक: २७वीं फरवरी, २०१७

प्रमाथ पटनायक, न्याया० के अनुसार

1. पार्टीयों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 31.07.2009 को उर्सुलीन कॉन्वेंट गल्स हाई स्कूल, खुंटी से सहायक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि विचाराधीन स्कूल एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।
3. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उसने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रतिवादी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्रा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—५०६/२०१३ और अन्य अनुरूप मामले जो २०१४ (१) जे०बी०सी०जे० ४६५ में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या २०६०६—२०६०७/२०१४ में दिनांक १५.१२.२०१४ को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान

डिवीजन बैंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

5. उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर—सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3, जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता को उसके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)